संख्या-2023/001-3191422022

प्रेषक,

नवनीत सहगल,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

खेल अनुभाग लखनऊ : दिनांक **12** जनवरी**, 2023**

विषय:- मा**0** मुख्यमंत्री जी की घोषणा के क्रम में जनपद मेरठ में शूटिंग रेन्ज के निर्माण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- जी- 1120/2021-22, दिनांक 20.12.2022 के सन्दर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल संलग्न बी0एम0-9 (भाग- 1) प्रपत्र संख्या- **A042-20222023-3191422022**, दिनांक 06 जनवरी, 2023 के अनुसार पुनर्विनियोग के माध्यम से रू0 1,75,74,000 (रुपये एक करोड़ पचहत्तर लाख चौहत्तर हजार मात्र) की अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था करते हुए उक्त सम्पूर्ण धनराशि अवमुक्त किये जाने पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1)- उक्त स्वीकृत धनराशि रू0 1,75,74,000 (रुपये एक करोड़ पचहत्तर लाख चौहत्तर हजार मात्र) निदेशक, खेल द्वारा कोषागार से आहरित करके कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि0 को उपलब्ध करायी जायेगी। उक्त धनराशि की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2022-23 में उपलब्ध बजटीय व्यवस्था के अन्तर्गत दी जा रही है।

(2) निदेशक, खेल द्वारा बचत की मद में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

(3) स्वीकृत धनराशि का व्यय, मितव्ययिता के आधार पर संगत शासनादेश/नियमों/ अनुमन्यताओं के अन्तर्गत समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुये सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) पुनर्विनियोग के माध्यम से प्राप्त धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2022-23 में किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) पुनर्विनियोग के माध्यम से उपलब्ध करायी जा रही धनराशि का समर्पण किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(6) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07.06.2022 एवं कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 23/2022/बी-1-749/दस-2022-231/2022, दिनांक 04.11.2022 का पूर्णतय: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) शासनादेश संख्या-382/बयालिस-2021-सी0एम0-48/2019, दिनांक 30.07.2021 एवं शासनादेश संख्या-2022/001-42010991712022, दिनांक 13.07.2022 में निहित शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,75,74,000 (रुपये एक करोड़ पचहत्तर लाख चौहत्तर हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20222023 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 022 लेखा शीर्षक 4202038007000 जनपद वाराणसी व मेरठ में शूटिंग रेन्ज की स्थापना मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 13 / 2022/ बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक- 07-जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(नवनीत सहगल)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-**2023/001-3191422022shooting,** तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
4- जिलाधिकारी, मेरठ।
5- क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी, मेरठ।
6- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, उ0 प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
7- प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ।
8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1(तीन प्रतियों में)/2
9- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग- 5
10- नियोजन अनुभाग- 4
11- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर प्रति।

आज्ञा से,

(विनीत प्रकाश)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।